NCDC द्वारा स्वीकृत योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18 अप्रैल, 2019 को आहूत **State Level Steering and Sanctioning Committee** की बैठक का कार्यवृत्त

सचिव, सहकारिता विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित समिति के समक्ष राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना का संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण किया गया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा रू0 3340.00 करोड़ (रू0 तीन हजार, तीन सौ, चालीस करोड़ मात्र) की परियोजना स्वीकृत की गयी है तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है।

परियोजनान्तर्गत प्राप्त स्वीकृति एवं अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में निम्नवत चर्चा अनुसार निर्देश/निर्णय दिये गयेः–

1. सचिव सहकारिता विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि परियोजनान्तर्गत सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार के बजट के माध्यम से अवमुक्त किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है, इसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 100.00 करोड़ से अधिक की धनराशि अवमुक्त किये जाने में कठिनाई होगी। इस हेतु यह प्रस्तावित किया गया कि वह सहकारी समितियां जो कि विगत कई वर्षो से संचालित की जा रही है, जैसे– एम0पैक्स, मार्केटिंग सोसाईटीज़ व सहकारी बैंक तथा दुग्ध सहकारी समितियों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से धनराशि का आवंटन सीधे किया जाये तथा नवसृजित सहकारी समितियों को राज्य सरकार के माध्यम से धनराशि आवंटित की जाय। प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि उत्तराखण्ड राज्य की ऋण वहन क्षमता न्यून होने के कारण राज्य सहकारी बैंक/जिला सहकारी बैंक के माध्यम से वांछित आर्थिक सहायता राज्य सरकार की प्रत्याभूति के आधार पर उपलब्ध कराये जाने की दशा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहमति है। विचार–विमर्श के दौरान अध्यक्ष, राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा सचिव सहकारिता को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित सहकारी बैंकों से वार्ता एवं सहमति प्राप्त कर प्रत्याभूति के सम्बन्ध में सचिव वित्त से वार्ता एवं विचार विमर्श कर प्रस्ताव तैयार कराया जाय तथा सम्बन्धित विषय पर सचिव सहकारिता को सचिव वित्त से वार्ता करने तथा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

2. (1) परियोजनान्तर्गत प्रथम वर्ष हेतु कुल रू0 100.00 करोड़ की धनराशि विभिन्न मदों में अवमुक्त कर दी गई है। सचिव सहकारिता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मदवार अवमुक्त धनराशि पर्याप्त न होने के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्य पूर्ण रूप से सम्पादित नही हो सकेंगे। अतः इस हेतु प्रथम वर्ष में मात्र उन कार्यों हेतु पर्याप्त धनराशि का आवंटन किया जाये, जो कि अत्यन्त आवश्यक हो।

(2) प्रबन्ध निदेशक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार के स्तर से परियोजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि का मदवार पुर्न निर्धारण किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार अपने स्तर से धनराशि का मदवार पुर्न निर्धारण कर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रस्ताव प्रेषित करा दें।

बैठक में सचिव सहकारिता विभाग को यह निर्देशित किया गया की सम्बन्धित विषय पर सचिव वित्त से वार्ता उपरान्त आवश्यक प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को यथाशीघ्र प्रेषित किया जाये।

3. (1) सचिव सहकारिता द्वारा भेड़ एवं बकरी सहकारी समितियों हेतु स्वीकृत योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। बैठक में समिति सदस्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता के सापेक्ष धनराशि की वापसी हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया की समीक्षा उपरान्त सचिव वित्त विभाग को यह निर्देशित किया गया कि विभागवार धनराशि वापसी की निर्धारित प्रक्रिया की समीक्षा की जाये तथा इस प्रकार प्रक्रिया का निर्धारण किया जाये कि ऋण की धनराशि की निर्बाध वापसी सुनिश्चित हो सके।

(2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा स्वीकृत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु परियोजना निदेशालय का गठन का प्रस्ताव समिति के प्रस्तुत किया गया।

इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय मार्गदर्शक समिति के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

4. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा स्वीकृत परियोजना का तृतीय पक्ष संस्था (Third Party Agency) द्वारा समवर्ती मूल्यांकन (Concurrent Evaluation) कराया जाने हेतु एजेन्सी का निर्धारण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा परियोजना के समवर्ती मूल्यांकन हेतु तृतीय पक्ष संस्था का निर्धारण निविदा के माध्यम से किया जाये।

5. बैठक में उपस्थित कृषि एवं उद्यान विभाग के प्रतिनिधियों को यह निर्देशित किया गया कि वर्तमान में उनके विभागान्तर्गत विभिन्न जनपदों में स्थापित अवस्थापनायें यथा–गोदाम, कोल्ड स्टोर आदि तथा उनके स्तर पर संचालित योजनाओं की सूचना सचिव सहकारिता को तत्काल उपलब्ध करायी जाये ताकि विभिन्न विभागों के मध्य आवश्यक सामंजस्य बना रहे।

अन्त में प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सम्बन्धित परियोजना की स्वीकृति हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने तथा बैठक में प्रतिभाग करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(आर मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सहकारिता,गन्ना,चीनी अनुभाग–1
संख्या–491/XIV–1/19–5(3/2017
देहरादून, दिनांक 15 मई, 2019

संख्या– /XIV-1/2019 तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को महोदय के संज्ञानार्थ।
2. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली।
3. सचिव, वित्त एवं नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, कृषि, उद्यान सगन्ध पौध विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास एवं सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. नोडल अधिकारी, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।